Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण कमांकः—एम.जे.सी.आर 406/2026 राज्य वि0 जालम+03	
13.08.2026	राज्य वि0 जालम+03 आपराधिक प्रकरण कमांक आर.सी.टी./1236/2022 प्रकरण में अभियुक्त **सुक्की उर्फ उर्फ देवसींग पिता हाकम सींग, उम्र–27 साल, निवासी–सुरखी उमरिया, थाना हिर्डोरिया, जिला दमोह म0प्र0** का आदेश सी.जे.एम./जेएम.एफ.सी के पालन में स्वयं का मुचलका/बंधपत्र प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा मुचलके की शर्तों के उल्लंघन में आदेश दिनांक 19.08.2025 के द्वारा जप्त कर आरोपी को वारण्ट किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरोपी **सुक्की उर्फ उर्फ देवसींग** द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र सम्पहृत हो चुका है। अतः बंधपत्र की शर्तों के उल्लंघन में समप्रत हुये बंधपत्र की राशि वसूली हेतु और उस संबंध में कार्यवाही हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम व आदेश आपराधिक के नियम 575(14) के प्रावधानों के तहत द0प्र0सं0 की धारा 446/491 भानसुसं0 के अंतर्गत विविध आपराधिक पंजी में विविध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। **(दीर्घा ऐरन)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** **जिला दमोह म0प्र0** पुनश्चः— राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त स्वयं उपस्थित। प्रकरण केन्द्रिय पंजीकृत कार्यालय से पंजीकरण उपरांत प्राप्त। द0प्र0सं0 की धारा 446 दंप्रसं0/491 भा0न0सु0सं0 के तहत आरोपी जिसका बंधपत्र सम्पहृत हुआ है उसे प्रारूप अनुसार सूचनापत्र जारी हो/उक्त आपराधिक प्रकरण कमांक में प्रस्तुत	देवसींग

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders, if necessary

जमानत आवेदन पत्र की सुनवायी के समय आरोपी/उल्लंघनकर्ता उपस्थित है एवं उक्त आदेश के अनुपालन में आज ही मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी/बंधपत्र प्रस्तुतकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कारण दर्शित करे कि बंधपत्र के अनुसार उससे राशि क्यों न जमायी करायी जावे या उससे उक्त राशि की वसूली की जावे या उससे राशि क्यों नहीं वसूल की जाना चाहिए।

बंधपत्र से आबद्ध एवं उसके अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वे कुछ समय पश्चात मौखिक में अपना निवेदन करना चाहते हैं । अतः प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(श्रीमती दीर्घा ऐरन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला दमोह म0प्र0

पुनश्चः–

पक्षकारगण पूर्ववत।

बंधपत्र से आबद्ध व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का अपने अभिभाषक से संपर्क ना होने के कारण वह नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। उसकी त्रुटि पर उदारतापूर्वक विचार किया जावे एवं कम से कम राशि सम्पहृत की जावे।

उभयपक्ष को सुनने के उपरांत मूल प्रकरण एवं एम.जे.सी. की प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बंधपत्र की राशि **10000/–** रूपये में से राशि **200/–** रूपये जप्त कर शेष के संबंध में मुक्ति प्रदान की जाती है।

अभियुक्त **सुक्की उर्फ उर्फ देवसींग** की ओर से मुचलका राशि **200/–** रूपये ऑनलाइन चालान कमांक 016819 एवं MPTURN130820260007324 दिनांक–13.08.2026 के माध्यम से जमा की गई।

प्रकरण की मुचलका राशि जमा किये जाने से समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम विविधि आपराधिक पंजी में दर्ज हो।

प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(सुश्री दीर्घा ऐरन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला दमोह म0प्र0

देवसींग